



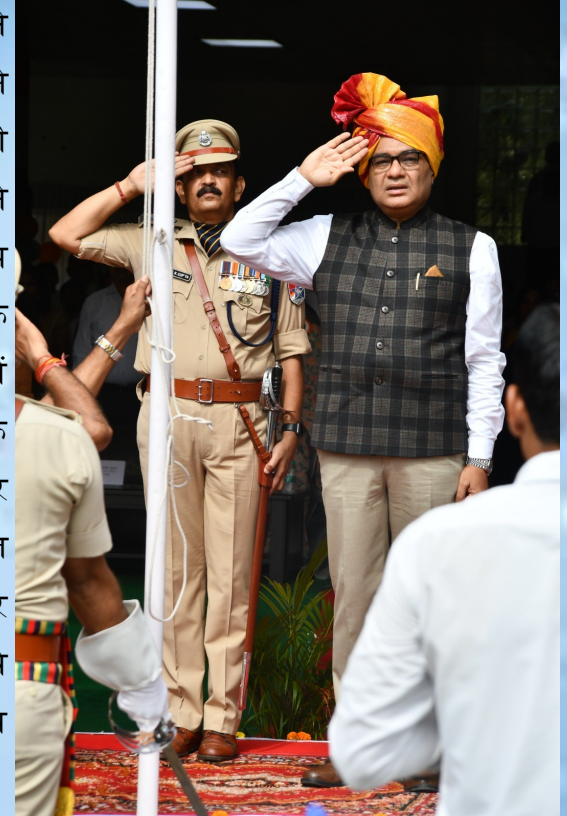
अभिव्यक्ति

राजभाषा विभाग,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,
रायपुर मंडल
अंक : 23, जुलाई-अगस्त 2023

मार्गदर्शक संजीव कुमार मंडल रेल प्रबंधक	मुख्य संपादक आशीष मिश्रा अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी	संपादक निकेश कुमार पाण्डेय राजभाषा अधिकारी	उप संपादक मनोज कुमार साहू वरिष्ठ अनुवादक
---	--	--	--

77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न

15 अगस्त भारत के इतिहास का वह स्वर्णिम दिन है जब भारत ने स्वतंत्रता के लिए लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल की थी। इसलिए इस वर्ष 'राष्ट्र पहले, हमेशा पहले' की थीम पर पूरे देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह एवं धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर मंडल के विभिन्न कार्यालयों एवं स्टेशनों पर भी 77वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के प्रांगण में आयोजित गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक श्री संजीव कुमार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अध्यक्ष, सेक्रो / रायपुर श्रीमती मेघा एस. कुमार उपस्थित हुए। इस अवसर पर सर्वप्रथम मंडल रेल प्रबंधक श्री संजीव कुमार द्वारा मंडल सुरक्षा आयुक्त, श्री संजय कुमार गुप्ता की अगुवाई में परेड की सलामी ली गई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक श्री संजीव कुमार द्वारा राष्ट्रगान की सुमधुर धुन के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।



इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक ने स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करते हुए सभी रेल कर्मचारियों, यात्रियों, संगठनों, सेक्रो को बधाई दी तथा अपने संबोधन में महाप्रबंधक महोदय के संदेश का वाचन करते हुए कहा कि रायपुर रेल मंडल ने यात्री सुविधाओं, रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस, सुरक्षा-संरक्षा, माल लदान एवं खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। रेल परिचालन के साथ-साथ अंतागढ़ से ताड़ोकी तक 17 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण भी किया गया और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायपुर मंडल के

रायपुर, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस एवं तिल्दा- नेवरा स्टेशनों के कायाकल्प करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है जिससे यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, कर्मचारियों के कल्याण हेतु हैल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एच.एम.आई.एस) मॉड्यूल, स्टाफ क्वार्टर, चिल्ड्रन पार्क, ओपन जिम, मेडिकल सुविधाओं में बढ़ोतरी

आदि जैसे अनेक कार्य किए गए। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों तथा स्काउट एवं गाइड के सदस्यों द्वारा मनमोहक नृत्य, गीत आदि प्रस्तुत किये गये। कार्यक्रम के अंत में मंडल रेल प्रबंधक श्री संजीव कुमार एवं अध्यक्ष, सेक्रो, रायपुर श्रीमती मेघा एस. कुमार द्वारा शांति के प्रतीक श्वेत कबूतरों को तथा राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करने वाले तिरंगे गुब्बारों को नीले आकाश में छोड़ कर सभी का उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक महोदय द्वारा ' मेरी माटी, मेरा देश अभियान ' के तहत उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों शपथ भी दिलाई गई।



इस कार्यक्रम के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रा.) श्री आशीष मिश्रा, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) श्री आर. के. साहू एवं अन्य विभागीय अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में सेक्रो के पदाधिकारी, यूनियन के प्रतिनिधिगण, मीडिया के सदस्य एवं रेल कर्मचारी उपस्थित रहे।

मंडल कार्यालय प्रांगण के अलावा 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रीमती मेघा एस. कुमार, अध्यक्ष, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन (सेक्रो), रायपुर मंडल के द्वारा टिनी टॉट स्कूल-I, टिनी टॉट स्कूल-II, डब्ल्यू.आर.एस. कालोनी, रायपुर में भी ध्वजारोहण किया गया।

साथ ही इस अवसर पर सेक्रो, रायपुर मंडल द्वारा मंडल चिकित्सालय, रायपुर एव बी.एम.वाय स्थित रेलवे चिकित्सालय में मरीजों को गिफ्ट एवं फूड पैकेट प्रदान किए गए और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। उपर्युक्त कार्यक्रम में उपाध्यक्षा श्रीमती सुनीता मिश्रा, सचिव श्रीमती इंद्राणी देवांगन, सह सचिव श्रीमती शिवानी गुप्ता एवं अन्य सेक्रो सदस्यों की सक्रिय सहभागिता रही।



“ विभाजन की विभीषिका ”

देश का विभाजन कितना खौफनाक और दर्दनाक था, इससे वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को अवगत कराने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर मंडल के रायपुर स्टेशन पर 'विभाजन विभीषिका दिवस' मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री मोहन एन्टी (भू.पू. चेयरमेन, कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड एवं भू.पू.केबिनेट मिनिस्टर) तथा अतिथियों के रूप में श्री सुरेन्द्र सिंह छाबड़ा, (पूर्व पार्षद एवं अध्यक्ष गुरुद्वारा गुरुसिंह सभा स्टेशन रोड) श्री पुहल जेठानी (समाजसेवी) एवं श्री अर्जुन दास ओचवानी (समाजसेवी) उपस्थित थे। रेलवे की ओर से श्री राहुल गर्ग, मंडल कार्मिक अधिकारी (प्रभारी), सुश्री रूहीना तुफैल खान, सहायक कार्मिक अधिकारी-II एवं श्रीमती निकिता अग्रवाल, सहायक कार्मिक अधिकारी -III उपस्थित थे जिनके द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया।



सर्वप्रथम श्री राहुल गर्ग, मंडल कार्मिक अधिकारी (प्रभारी) द्वारा अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। तत्पश्चात उनके द्वारा स्वागत भाषण एवं कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री मोहन एन्टी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं है। हमें एकता और भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है तथा विघटनकारी शक्तियों को परास्त करना है। इसके बाद अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम के दौरान भारत स्काउट एवं गाईड द्वारा नुक्कड़ नाटक 'सफर' की प्रस्तुति की गई। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति को उपस्थित सभी अतिथियों एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा काफी सराहा गया।

इसके अलावा रायपुर स्टेशन परिसर में देश के विभाजन के संबंध में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों द्वारा किया गया। उपस्थित जनसमुदाय द्वारा इस प्रदर्शनी की भी काफी प्रशंसा की गई। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।



राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना

राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलिक रूप से राजभाषा हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 से संशोधित “राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना” लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित चार श्रेणियों में पुस्तकें आमंत्रित की जाती हैं। पुस्तकें अपेक्षित कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रकाशित होनी चाहिए।

1. इसे “हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना” कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत भाग लेने के लिए पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी होनी चाहिए :-

- इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण आदि।
- न्यायालयी विज्ञान, पुलिस अनुसंधान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि।
- संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि।
- विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन।

2. पुरस्कार

	पुरस्कार योजना की श्रेणी	कुल पुरस्कारों की संख्या	देय राशि, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
क.	इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण आदि हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 2,00,000/- (दो लाख रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		तृतीय पुरस्कार (एक)	₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ख.	न्यायालयी विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ग.	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 4,00,000/- (एक लाख रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

घ.	विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपए), प्रमाण (एक) पत्र तथा स्मृति चिह्न

3. पात्रता : भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है।

4. उपर्युक्त योजना के लिए सामान्य शर्तें :

- पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा अलग-अलग संबंधित प्रोफार्मा भरा जाए।
- योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए केवल वे पुस्तकें ही स्वीकार्य होंगी जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों। अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं की जाएंगी।
- किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जानी चाहिए।
- विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होंगी।
- यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग की किसी भी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तथापि, सहलेखक (यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है। सहलेखक को पुरस्कार में आनुपातिक राशि प्रदान की जायेगी।
- पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की होनी चाहिए।
- यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।
- केवल वे पुस्तकें जिन पर ISBN होगा, योजना के अंतर्गत शामिल की जाएंगी।

अनमोल वचन - मुंशी प्रेमचंद

- मैं एक मजदूर हूँ। जिस दिन कुछ लिख न लूँ, उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं।
- जब किसान के बेटे को गोबर में से बदबू आने लग जाए तो समझ लो कि देश में अकाल पड़ने वाला है।
- विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई भी विद्यालय आज तक नहीं हुआ।
- सोने और खाने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ते रहने की लगन का नाम जिंदगी है।
- साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि राजनीति के आगे मशाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है।

कार्यालयीन / सरकारी पत्राचार

कार्यालयीन पत्राचार औपचारिक पत्राचार है, जिसका प्रयोग मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों में सरकारी निर्णय की सूचना देने अथवा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचनाओं के आदान-प्रदान, प्रशासनिक मंत्रालय से की जाने वाली कार्रवाई की सहमति प्राप्त करने, सरकार की नीतियों / निर्णयों की जानकारी देने तथा सरकार की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने, आदि के लिए किया जाता है।

क. सरकारी पत्राचार के प्रकार

शासकीय कार्यालयों में अनेक स्तरों पर पत्राचार का प्रयोग होता है। अतः सरकारी पत्राचार के अनेक प्रकार होते हैं जिनमें प्रमुख हैं :

1. सरकारी पत्र (Official Letter) / स्मरण पत्र (Reminder) / पावती (acknowledgement)
2. अर्द्धसरकारी पत्र (Demi-official Letter)
3. कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum)
4. ज्ञापन (Memorandum)
5. परिपत्र (Circular)
6. कार्यालय आदेश (Office Order)
7. राजपत्र (Gazette)
8. संकल्प (Resolution)
9. अधिसूचना (Notification)
10. पृष्ठांकन (Endorsement)
11. प्रेस विज्ञप्ति (Press Communique)
12. अंतर विभागीय टिप्पणी (Inter departmental note)

ख. सरकारी-पत्र (Official Letter)

इसे शासकीय पत्र भी कहा जाता है। सरकारी पत्राचार में सबसे अधिक मात्रा में इसी पत्र का प्रयोग होता है। अतः सरकारी पत्राचार में सरकारी पत्र (Office Letter) का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारी पत्रों का प्रयोग कार्यालय से इतर व्यक्तियों, कार्यालयों, संस्थाओं, निकायों, निगमों, सार्वजनिक उद्योगों, बैंकों, राज्य सरकारों, अधीनस्थ / संबद्ध कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों आदि से सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु किया जाता है।

सरकारी पत्र उत्तम पुरुष में ही प्रायः लिखे जाते हैं। सरकारी पत्रों में तथ्यों तथा स्थितियों को उनके मूल रूप में यथास्थिति रखा जाना अत्यावश्यक होता है। ऐसे पत्रों की भाषा सरल, सुबोध तथा स्पष्ट होनी चाहिए तथा पत्रों में लोकोक्तियों, मुहावरों व कहावतों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी पत्र सीधे विषयानुरूप लिखे जाने आवश्यक होते हैं। सरकारी पत्रों में किसी भी प्रकार की भ्रांतियों, गलतफहमियों आदि बातों के साथ अस्पष्टता व अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। किसी सरकारी आदेश या अनुदेश की तामील किये जाने वाले पत्र में उस प्रकार की सूचना दिया जाना आवश्यक हो जाता है जैसे, "मुझे यह कहने का आदेश हुआ..." "मुझे निर्देश दिया गया है कि मैं..." सरकारी पत्र का सम्बोधन सामान्यतया 'महोदय' से आरम्भ होता है। सरकारी (शासकीय) पत्र के प्रमुख अंग निम्नानुसार होते हैं :

1.	पत्र संख्या	7.	पत्र की मुख्य विषय-वस्तु
2.	मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय का नाम (अर्थात् प्रेषक का नाम)	8.	आत्म निर्देश
3.	प्राप्तकर्ता अर्थात् प्रेषिती का नाम	9.	प्रेषक के हस्ताक्षर एवं उसका पदनाम
4.	पत्र भेजने का स्थान	10.	पृष्ठांकन या परांकन
5.	विषय	11.	संलग्नक यदि कोई हो
6.	सम्बोधन		

सामान्यतः सरकारी पत्र विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, सम्बद्ध और अधीन कार्यालयों और संघीय लोक सेवा आयोग जैसे अन्य कार्यालयों से समस्त औपचारिक पत्र-व्यवहार के लिए प्रयुक्त होते हैं। जनता की या सरकारी कर्मचारियों की संस्थाओं या संगठनों के सदस्यों के साथ किए जाने वाले समस्त पत्र-व्यवहार के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किन्तु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के बीच पत्र-व्यवहार के लिए इसका प्रयोग नहीं होता, बल्कि इसके स्थान पर कार्यालय ज्ञापन या अंतरविभागीय टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है।

सरकारी परम्परा का पालन करते हुए उन सभी सरकारी पत्रों में, जो किसी मंत्रालय से भेजे जाते हैं और भारत सरकार के आदेशों या विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखे जाते हैं, यह साफ तौर पर बता देना चाहिए कि वे सरकार के निदेश से लिखे गए हैं। अलग-अलग कार्यालयों के अध्यक्षों (जैसे, पुरातत्व विभाग का महानिदेशक) या खुद अधिकारियों द्वारा भेजे जाने वाले सरकारी पत्रों में, जो सरकार के निदेश पर नहीं बल्कि अपने प्राधिकार पर लिखे जाते हैं, 'मुझे निदेश हुआ है कि....' इसके बजाय 'मुझे निवेदन करना है कि' लिखना चाहिए।

गुरु मिले तो बंधन छूटे

एक पंडित रोजाना एक रानी के पास कथा करता था। कथा के अंत में सबको कहता कि 'राम कहे तो बंधन टूटे'। तभी पिंजरे में बंद तोता बोलता, 'यूं मत कहो रे पंडित झूठे'। पंडित को क्रोध आता कि ये सब क्या सोचेंगे, रानी क्या सोचेगी। पंडित अपने गुरु के पास गया, गुरु को सब हाल बताया। गुरु तोते के पास गया और पूछा तुम ऐसा क्यों कहते हो?

तोते ने कहा- 'मैं पहले खुले आकाश में उड़ता था। एक बार मैं एक आश्रम में जहां सब साधू-संत राम-राम-राम बोल रहे थे, वहां बैठा तो मैंने भी राम-राम बोलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उसी आश्रम में राम-राम बोल रहा था, तभी एक संत ने मुझे पकड़ कर पिंजरे में बंद कर लिया, फिर मुझे एक-दो श्लोक सिखाये।

आश्रम में एक सेठ ने मुझे संत को कुछ पैसे देकर खरीद लिया। अब सेठ ने मुझे चांदी के पिंजरे में रखा, मेरा बंधन बढ़ता गया। निकलने की कोई संभावना न रही। एक दिन उस सेठ ने राजा से अपना काम निकलवाने के लिए मुझे राजा को गिफ्ट कर दिया, राजा ने खुशी-खुशी मुझे ले लिया, क्योंकि मैं राम-राम बोलता था। रानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी तो राजा ने रानी को दे दिया। अब मैं कैसे कहूं कि 'राम-राम कहे तो बंधन छूटे'।

तोते ने गुरु से कहा आप ही कोई युक्ति बताएं, जिससे मेरा बंधन छूट जाए।

गुरु बोले- आज तुम चुपचाप सो जाओ, हिलना भी नहीं। रानी समझेगी मर गया और छोड़ देगी। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन कथा के बाद जब तोता नहीं बोला, तब संत ने आराम की सांस ली। रानी ने सोचा तोता तो गुमसुम पड़ा है, शायद मर गया। रानी ने पिंजरा खोल दिया, तभी तोता पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगा 'गुरु मिले तो बंधन छूटे'।

अतः शास्त्र कितना भी पढ़ लो, कितना भी जाप कर लो, लेकिन सच्चे गुरु के बिना बंधन नहीं छूटता।



मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई

दिनांक 31.07.2023 को राजभाषा विभाग, रायपुर द्वारा मंडल कार्यालय स्थित हिंदी पुस्तकालय में हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम श्री अनुज गुप्ता, उप मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर (जीएसयू) द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात श्री निकेश कुमार पाण्डेय, राजभाषा अधिकारी एवं विभिन्न विभागों से



उपस्थित कर्मचारियों द्वारा भी उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। श्री निकेश कुमार पाण्डेय, राजभाषा अधिकारी द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन एवं उनकी रचनाओं की विशेषताओं पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के दौरान मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ प्रसिद्ध लघु कहानियों जैसे देवी, राष्ट्र का सेवक, कश्मीरी सेब, बाबाजी का भोग आदि का वाचन किया गया। श्री रेणु कुमार वर्मा, वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर, यांत्रिक विभाग द्वारा प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध रचना 'ईदगाह' के मुख्य चरित्र हामिद के साथ वार्तालाप की कल्पना करते हुए उसे कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया।

शब्द परिचय

जलेबी :

जलेबी मूल रूप से अरबी लफ्ज़ है। इस मिठाई का असली नाम है जलाबिया। यूँ जलेबी को विशुद्ध भारतीय मिठाई मानने वाले भी हैं। जलेबी का प्राचीन नाम 'कुंडलिका' बताया जाता है। भारतीय मूल पर ज़ोर देने वाले इस 'जल-वल्लिका' कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे 'जिलबी' कहा जाता है और बंगाल में इसका उच्चारण 'जिलपी' करते हैं। शायद यह जानकर ताज्जुब होगा कि जलेबी का रिश्ता एक काली चिड़िया (कोयल) से है। जलेबी से कोयल की रिश्तेदारी की पहली सिर्फ एक ही तथ्य से सुलझ सकती है और वह है मिठास। रस भरी जलेबी के ज़ायके में जो मिठास है वही मिठास कोयल की सुरीली कुहक में भी है। अरबी ज़बान में जिरयाब का मतलब है एक काली चिड़िया यानी कोयल।

तीर्थ :

शब्दकोशों में तीर्थ शब्द का अर्थ है घाट, नदी पार करने का स्थल। बाद में इसमें मंदिर, धार्मिक-पवित्र कर्म करने के स्थल वाला भाव जुड़ता चला गया। तीर्थ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'तृ' धातु से हुई जिसका मतलब हुआ तैरना, बहना, पार जाना, बढ़ना, आगे आना आदि। 'तृ' से तरलता वाले शब्द बने हैं, जैसे - तरल, तरंग, तर (गीला), तरंगिणी (नदी)। तीर्थ बना है 'तीरम्' से जिसमे नदी या सागर के तट या किनारे का भाव शामिल है।

संकलनकर्ता - हरीश चंद्र कर, संरक्षा सलाहकार, रायपुर

माह के साहित्यकार

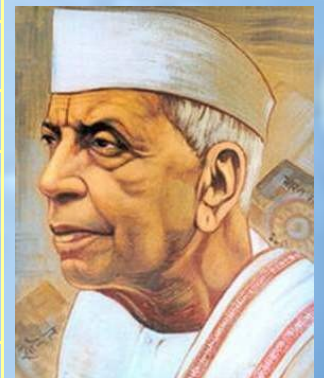
मुंशी प्रेमचंद

जन्म	:	31 जुलाई 1880
निधन	:	08 अक्टूबर 1936
जन्म स्थान	:	लमही, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
उपनाम	:	कलम का सिपाही, उपन्यास सम्राट
प्रमुख कृतियाँ	:	गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवासदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, मानसरोवर (कुल 08 भाग), कायाकल्प, पंच परमेश्वर आदि
विविध	:	भारतीय डाकतार विभाग द्वारा 31 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती पर 30 पैसे मूल्य का डाक टिकट जारी किया गया। इनके प्रसिद्ध उपन्यास के नाम पर दिनांक 23.12.2001 से 'गोदान एक्सप्रेस' गोरखपुर से एलटीटी मुंबई के बीच चलाई जा रही है।



मैथिलीशरण गुप्त

जन्म	:	03 अगस्त 1886
निधन	:	12 दिसंबर 1964
जन्म स्थान	:	चिरगाँव, झाँसी, उत्तर प्रदेश
उपनाम	:	राष्ट्रकवि
प्रमुख कृतियाँ	:	भारत-भारती, यशोधरा, साकेत, रंग में भंग, द्वापर, पंचवटी, जयद्रथ वध, जय भारत, सिद्धराज, झंकार, पृथ्वीपुत्र, अनघ, किसान, गुरुकुल, चंद्रहास, मंगल घट, कुणाल गीत, मेघनाथ वध आदि।
विविध	:	1952 में गुप्त जी राज्य सभा के सदस्य मनोनीत हुए और 1954 में उन्हें 'पद्मभूषण' अलंकार से सम्मानित किया गया।



पाठकों की प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। कृपया अपने सुझाव व्हाट्सएप्प नंबर 9752877615 अथवा ई-मेल rbarsecr2006@gmail.com पर प्रेषित करें ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। यह ई-पत्रिका द.पू.म.रेलवे की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

मंडल की गतिविधियां संबंधी विवरण एवं फोटोग्राफ्स जनसंपर्क अनुभाग, रायपुर से साभार।